

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 228B/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

देवेन महतो .....आवेदक / विक्रेता

बनाम

लक्ष्मी प्रिया महतो .....क्रेता

दिनांक पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर अम्युक्ति

22-7-2020

विक्रेता :- देवेन महतो पिता स्व० मंगला महतो, ग्राम-बड़ाकांकड़ा,  
थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

क्रेता :- लक्ष्मी प्रिया महतो पति स्व० विभीषण महतो, ग्राम-पाण्ड्रा,  
थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 15.02.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता लक्ष्मी प्रिया महतो पति स्व० विभीषण महतो, ग्राम-पाण्ड्रा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
दुधी	सरायकेला / 260	06	102	19डि०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 392 दिनांक 20.04.2020 के द्वारा जाँच एवं सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि विक्रेता देवेन महतो एवं उनके भाई विपिन महतो के नाम से पंजी-II है।
2. विक्रेता अपने हिस्से के आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता के पास रकवा-3.55 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. विक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।



लगातार.....2


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता देवेन महतो पिता स्व० मंगला महतो, ग्राम-बड़ाकांकड़ा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता लक्ष्मी प्रिया महतो पति स्व० विभीषण महतो, ग्राम-पाण्ड्रा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.19एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।